राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
State Election Commission, Bihar

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 09.05.2026

पंचायत आम निर्वाचन, 2026 – 'प्रपत्र-1' के प्रारूप प्रकाशन के विरुद्ध प्राप्त दावा-आपत्ति का निष्पादन एवं Reservation Data Digitization हेतु दिशा-निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2026 को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित संपन्न कराने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत पदवार प्रपत्र-1 (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची) का प्रकाशन दिनांक 04.05.2026 को सभी जिलों द्वारा किया जा चुका है।

1. प्रपत्र-1 के प्रकाशन के विरुद्ध प्राप्त दावा/आपत्ति निष्पादन की प्रक्रियाः

प्रारूप प्रपत्र-1 के प्रकाशन के विरुद्ध प्राप्त दावा / आपत्तियों का निष्पादन एवं अंतिम प्रकाशन के संदर्भ में संशोधित कार्यक्रम विवरणी निम्नरूपेण हैः-

(क) आपत्तियाँ दाखिल किये जाने की अवधिः-	18.05.2026 तक
(ख) आपत्तियों का निष्पादनः-	22.05.2026 तक
(ग) अपील वाद दायर करने की तिथिः -	आदेश पारित तिथि से 03 दिन तक
(घ) अपील वादों का निष्पादनः -	अपील करने की तिथि से 07 दिन तक
(ड़) प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशनः-	15.06.2026
(च) प्रपत्र-1 के आंकड़ों का जिला गजट में प्रकाशनः-	20.06.2026
(छ) जिला गजट की प्रति आयोग को उपलब्ध कराया जानाः -	23.06.2026

प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन के सन्दर्भ में सभी जिलों को आयोग स्तर से प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी जिला के अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आईटी प्रबंधक विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े साथ ही आयोग स्तर पर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ दीपक प्रसाद, संयुक्त निर्वाचन आयुक्त श्री शंभू कुमार, SER की टीम एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। उक्त प्रशिक्षण सत्र में प्राप्त दावा/आपत्तियों का डिजिटाइजेशन एवं निष्पादन की प्रक्रिया के सन्दर्भ में व्यापक परिचर्चा की गयी। जिला स्तर के जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं कई प्रखंड विकास

Scanned with OKEN Scanner

पदाधिकारी द्वारा दावा/आपत्ति निष्पादन के सन्दर्भ में पृच्छा की गयी जिसके सन्दर्भ में माननीय आयुक्त महोदय एवं संयुक्त निर्वाचन आयुक्त महोदय द्वारा विस्तारपूर्वक सभी संबंधितों को निदेशित किया गया।

2. आरक्षण श्रेणी की प्रविष्टि एवं सॉफ्टवेयर आधारित जांच: आयोग द्वारा आरक्षण की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित किये जाने वाले आरक्षण की जांच सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सभी जिलों द्वारा वर्ष 2006 में आवंटित आरक्षण श्रेणियों की डिजिटल प्रविष्टि आयोग के पोर्टल पर 30 मई, 2026 तक अनिवार्य रूप से किये जाने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। इस हेतु सभी जिलो को आयोग स्तर से प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3. पारदर्शी निष्पादन एवं अपीलीय व्यवस्था:

दावा/आपत्तियों के पारदर्शी एवं त्वरित निष्पादन हेतु आयोग स्तर से अपील का भी प्रावधान किया गया है:

ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी प्राधिकृत पदाधिकारी नियुक्त किये गए हैं तथा अनुमंडल पदाधिकारी को प्रथम एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी नामित किया गया है।

जिला परिषद सदस्य पद हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को प्राधिकृत पदाधिकारी नियुक्त किये गए हैं, जबकि जिला पदाधिकारी अपीलीय प्राधिकार होंगे।

निष्पादन की प्रक्रिया: प्रत्येक दावा/आपत्ति पर सुनवाई के बाद लिखित आदेश पारित किया जाएगा, जिसकी प्रति आपत्तिकर्ता को दी जाएगी। सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ता को अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर और नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

संशोधन एवं अनुमोदन: यदि कोई आपत्ति स्वीकार की जाती है, तो प्रपत्र-1 के प्रारूप में संशोधन हेतु जिला पदाधिकारी का अनुमोदन अपरिहार्य होगा।

अपील का प्रावधान: आदेश पारित होने के 03 दिनों तक आपत्तिकर्ता निर्धारित प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। समय-सीमा के पश्चात प्राप्त अपीलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

डिजिटलीकरण: निष्पादन के पश्चात पारित आदेश और संबंधित साक्ष्यों को अनिवार्य रूप से आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

आयोग के निदेशानुसार, चूँकि वर्ष 2016 की आरक्षण श्रेणियों का डेटा पोर्टल पर पूर्व में ही उपलब्ध है, अतः अब सभी जिलों को वर्ष 2006 में आवंटित आरक्षण श्रेणियों की डिजिटल प्रविष्टि आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर करनी होगी। इस हेतु आयोग स्तर से कार्यक्रम निर्धारित करते हुए प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सभी जिला को निर्देशित किया गया है कि वर्ष 2006 की आरक्षण श्रेणियों की त्रुटिरहित प्रविष्टि के साथ-साथ आयोग द्वारा अनुमोदित आरक्षण के PDF की प्रति 30 मई, 2026 तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

आयोग का मुख्य उद्देश्य डिजिटल माध्यम से डेटा का सत्यापन करना और आम नागरिकों को उनकी आपत्तियों के निवारण का उचित अवसर प्रदान करना है, ताकि निर्वाचन की लोकतांत्रिक शुचिता बनी रहे। साथ ही पंचायत चुनाव 2026 में पदों के आरक्षण निर्धारण में पूर्णतः प्रामाणिकता और पारदर्शिता बनी रहे।

मतदाता/नागरिक हेतु सुविधा

मतदाता के लिए ऑनलाईन सुविधा: कोई भी मतदाता / नागरिक राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर जाकर निर्वाचन / मतदाता सूची/मतदान केन्द्र/ 'प्रपत्र-1' से संबन्धित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं ऑनलाइन दावा/आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति/मतदाता/अभ्यर्थी आयोग में संचालित कॉल सेंटर कोषांग के टोल फ्री नं. 1800-3457-243 पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी सूचना, सुझाव या शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

Scanned with OKEN Scanner